

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा

प्रकरण सं.:-113/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1070

दिनांक:-01.06.2018

### आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 97 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूनामीठा खेड़ा	97	95,119 187,189	दुर्गा पुत्र पूनमा	दरगाराम पुत्र पुनमाराम <b>शेष बदुस्तर</b>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1071-1073

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दरगाराम पुत्र पुनमाराम जाति गुरुड़ा निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी